संख्या 252/XIV–1/2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2009

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के कतिपय मदों में पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7803/नियो0/आयोजनेत्तर/2008–09 दिनांक 05.03.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में मानक मद–01–वेतन मद में 64,000.00 रू0, 06–अन्य भत्ते मद में 1,28,000.00 रू0, 15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद मद में 20,000.00 रू0 संलग्न पुनर्विनियोग के अनुसार कुल रू0 212 हजार (दो लाख बारह हजार रू0) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

3. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में

किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

7. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

9. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन 05–सहकारी न्यायाधिकरण के मानक मद–01–वेतन, 06–अन्य भत्ते, 15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल खरीद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 283(NP)/XXVII-4/2009 दिनांक 23.03.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः–252/XIV–1/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

आय व्ययक प्रपत्र–बी.एम.–15 पुनर्विनियोग 2008–09

(पैरा–158)

शासनादेश संख्या 252 /XIV–1/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 विभाग– सहकारिता विभाग, अनुदान संख्या–18 आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 05–सहकारी न्यायाधिकरण 17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व 400	—	—	400	2425–सहकारिता आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 05–सहकारी न्यायाधिकरण 01–वेतन 64 06–अन्य भत्ते 128 15–गाडियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद 20	746 203 50	188	वित्तीय वर्ष 2008–09 में "सहकारी न्यायाधिकरण अधिष्ठान के माह फरवरी 2009 के वेतन, अन्य भत्ते, गाडियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल खरीद हेतु
योग 400			400	212	999	188	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नही होता है।

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या 283 A/XXVII–4/2009
देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा),
उत्तराखण्ड, माजरा,
देहरादून।

संख्या 252/~~XXVII–4~~ XIV-1/2009, दिनांक 25 मार्च 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मी रोड देहरादून।
2. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग –4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या 283 A/XXVII–4/2009
देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा),
उत्तराखण्ड, माजरा,
देहरादून।

संख्या 252/~~XXVII–4~~ XIV-1/2009, दिनांक 25 मार्च 2009
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23–लक्ष्मी रोड देहरादून।
2. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग –4, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।